निदेशालय विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः C-455 /वि0क0/बचपन/2012-13 लखनऊ दिनांकः 12 मई, 2012.

1.जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/बरेली/आगरा/झांसी,
गौतमबुद्ध नगर/सहारनपुर।

2.आहरण वितरण अधिकारी,मुख्यालय

विषयः **वित्तीय वर्ष 2012-13 में बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु बजट आवंटन।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनेत्तर-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-31-बचपन नर्सरी स्कूलों का संचालन-42-अन्य व्यय" मद में कुल रू0 3104000/-(रू0 इक्तीस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि प्रथम चार माह हेतु निम्नानुसार आप के निवर्तन पर रखी जाती हैः-

क्र0सं0	बचपन सेन्टर का नाम	आवंटित धनराशि	क्र0सं0	बचपन सेन्टर का नाम	आवंटित धनराशि
1	बचपन सेन्टर, लखनऊ	761000/-	6	बचपन सेन्टर, बरेली	272000/-
2	बचपन सेन्टर, इलाहाबाद	539000/-	7	बचपन सेन्टर, झॉसी	248000/-
3	बचपन सेन्टर, वाराणसी	522000/-	8	बचपन सेन्टर, सहारनपुर	207000/-
4	बचपन सेन्टर, आगरा	288000/-	9	बचपन सेन्टर, गौतमबुद्ध नगर	237000/-
5	निदेशालय	30000/-			

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन व्यय की जायेगी :-

शर्ते एवं प्रतिबंध

1. उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा जारी पत्र सं0-1874/65/2/2009-53(बजट)/2008 दि0 16.10.09 द्वारा अनुमोदित निदेशालय के पत्र सं0-1775/वि0क0/ब0संचा0/2009-10 दि0 20 अगस्त ,09 के साथ संलग्न बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन प्रस्ताव में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह भी ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहॉ कहीं भी आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
3. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी0एम0-8 निर्धारित प्रारूप पर एवं कोषागार डी0डी0ओ0 रीकैसिलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
4. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी0एल0ए0 में न रखी जाये। आवंटित धनराशि का शत प्रतिशत समयबद्ध व्यय आप का उत्तरदायित्व है, जिस धनराशि की आवश्यकता न हो उसे प्रत्येक दशा में 20, फरवरी 2013 तक मदवार समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें। समय से व्यय/व्ययधिक्य/समर्पण न होने की दशा में इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।
5. जिन मदों में धनराशि आवंटित की गई है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाईनेन्सियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
6. उपर्युक्त धनराशि अबांटन पंजिका के पृष्ठ सं0 53 पर अंकित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरि लाल पासी)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2 ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/अडिटर-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. संबंधित उपनिदेशक।
5. समस्त समन्वयक, बचपन डे केयर सेन्टर्स।

(नारेन्द्र सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

Yojna-A